(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा अध्यासित)

**प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 07/2016**

**दायर दिनांक : 06.04.2016**

**आदेश दिनांक : 25.08.2023**

:: अनवान ::

1. श्री गुलशन पिता श्री विनोद जी दलाल उम्र वयस्क
2. श्री कमल पिता श्री प्रकाश जी कोठारी उम्र वयस्क
   निवासीयान उदयपुर जिला – उदयपुर (राज.)
3. श्री भरत पिता वरदी चन्द जी कोठारी निवासी नई आबादी कांकारोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)।

– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, 59 बी बापू नगर, रोड़ नम्बर 5, सेती चित्तोडगढ़ जिला चितोडगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, राजसमन्द (राज.)।
3. नगर परिषद, राजसमन्द तहसील व जिला राज राजसमन्द (राज.) जरिये आयुक्त महोदय।
4. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज.)।

– विपक्षीगण

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री सुनील बोहरा,अधिवक्ता – प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता – अप्रार्थी सं. 1 व 4
3. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता – अप्रार्थी सं. 2
4. श्री अब्दुल हकीम चुड़ीगर अधिवक्ता – अप्रार्थी सं. 3

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से विपक्षी संख्या 04 के द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 03.02.2016 से असंतुष्ठ होकर क्षतिपूर्ति पुनः निर्धारण कर क्षतिपूर्ति राशि बढाने हेतु निवेदन किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर राजस्व ग्राम महासतियों की मादडी में स्थिति खसरा संख्या 1166 भूमि में से भूमि की अवाप्ति प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने पर भी विपक्षीगण की मिलीभगत से विधि विरूद्ध की गई। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 4 के यहॉ विधि अनुसार आपत्तियॉ एवं क्लेम मय दस्तावेजो व फोटो सहित प्रस्तुत किये गये किन्तु विपक्षी संख्या 4 ने उन्हे नजरअंदाज करते हुए प्रार्थीगण को बिना सुचित किये एवं बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं बिना प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौके का पर्चामौका बनाये ही विधि विरूद्ध पत्रावली/अधि.सू. क्रमांक 392(अ) दिनांक 06.02.15/ दि. 03.02.16 को अनरिजन्ड, आलोच्य अवार्ड पारित कर प्रार्थीगण के बैंक खातों में क्रमशः चैक राशि 199442/–, चैक राशि 199441/– एवं चैक राशि 199442/– रूपया

जमा करवा दिये गये हैं। जो राशि अपर्याप्त है जिससे प्रार्थीगण संतुष्ट नहीं है। विपक्षी संख्या 4 ने आलोच्य अवार्ड पारित करने से पूर्व कुछ रिक्त कागजो एवं कुछ रिक्त परफोरमा पर हस्ताक्षर करवाये एवं कहा गया कि आपको पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी तथा अवार्ड की सूचना दे दी जावेगी। परन्तु विपक्षी संख्या 4 के द्वारा उक्त आलोच्य आदेश की कोई सूचना प्रार्थीगण को कभी नहीं दी और नहीं उक्त आलोच्य अवार्ड की प्रति ही प्रार्थीगण को प्रेषित की गई और न ही प्रार्थीगण को उक्त आलोच्य अवार्ड से संतुष्ट नहीं होने की अवस्था में श्रीमान आप मध्यस्थ के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी संख्या 4 ने प्रार्थीगण की उक्त अवाप्त भूमि का वर्तमान मौके की स्थिति, किस्म एवं वर्तमान उपयोग उपभोग के अनुरूप बाजार कीमत (मार्केट वेल्यु) के अनुसार मुआवजे का निर्धारण नहीं कर एक अवैध विधि विरूद्ध अवार्ड जारी किया है। प्रार्थीगण उक्त राशि का 100 प्रतिशत अतिरिक्त अवार्ड भी अन्तर्गत धारा 30 Award of solatium के तहत कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है तथा नोटिफिकेशन की दिनांक से अवार्ड राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन में वर्णित अनुसार मुआवजा बढोतरी फरमाकर प्रार्थीगण को विपक्षीगण से प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 व 04 के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी ने दिनांक 01.04.2015 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये थे, यह सूचना दिनांक 02.04.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके बावजुद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नही किया हैं, अतः प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। विपक्षी संख्या 02 की ओर से राजकिय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने हस्तगत उक्त प्रार्थना पत्र जानकारी होते हुए भी विलम्ब से प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज योग्य होने से व्यय निरस्त फरमाया जावें। विपक्षी संख्या 03 के अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जवाब की आवश्यकता नही हाने तथा स्वीकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार 3 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है। उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि का शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने का प्रावधान है जो अदा नहीं किया गया है। इस संबंध में स्वयं नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.05.2015 को जारी अधिसूचना एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय में उक्त सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित करने एवं अदा करने के निर्देश जारी किये गये। इस हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

विपक्षी संख्या 01 व 04 के अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रा0प0 151 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि RFCTLARR, ACT 2013 अक्षरशः लागू नही होता है। प्रथम अनुसूची के अनुसार कार्यवाही विचाराधीन हैं। NHAI ACT 1956 की धारा

न्यायालय जिला कलक्टर

3। (3झ) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियॉ ही प्रदान की गई हैं, जिसमें धारा 151 CPC समिलित नही हैं, अतः प्रस्तुत प्रकरण में CPC अक्षरशः लागू नही होती है। अतः प्रार्थी की उक्त याचिका आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विपक्षी संख्या 04 के द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 03.02.2016 से असंतुष्ठ होकर क्षतिपूर्ति पुनः निर्धारण कर क्षतिपूर्ति राशि बढाने हेतु निवेदन किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर राजस्व ग्राम महासतियों की मादडी में स्थिति खसरा संख्या 1166 भूमि में से भूमि की अवाप्ति प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने पर भी विपक्षीगण की मिलीभगत से विधि विरूद्ध की गई। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 4 के यहॉ विधि अनुसार आपत्तियॉ एवं क्लेम मय दस्तावेजो व फोटो सहित प्रस्तुत किये गये किन्तु विपक्षी संख्या 4 ने उन्हे नजरअंदाज करते हुए प्रार्थीगण को बिना सुचित किये एवं बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं बिना प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौके का पर्चामौका बनाये ही विधि विरूद्ध पत्रावली/अधि.सू. क्रमांक 392(अ) दिनांक 06.02.15/ दि. 03.02.16 को अनरिजन्ड, आलोच्य अवार्ड पारित कर प्रार्थीगण के बैंक खातों में क्रमशः चैक राशि 199442/–, चैक राशि 199441/– एवं चैक राशि 199442/– रूपया जमा करवा दिये गये हैं। जो राशि अपर्याप्त है जिससे प्रार्थीगण संतुष्ट नहीं है। विपक्षी संख्या 4 ने आलोच्य अवार्ड पारित करने से पूर्व कुछ रिक्त कागजो एवं कुछ रिक्त परफोरमा पर हस्ताक्षर करवाये एवं कहा गया कि आपको पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी तथा अवार्ड की सूचना दे दी जावेगी। परन्तु विपक्षी संख्या 4 के द्वारा उक्त आलोच्य आदेश की कोई सूचना प्रार्थीगण को कभी नहीं दी और नहीं उक्त आलोच्य अवार्ड की प्रति ही प्रार्थीगण को प्रेषित की गई और न ही प्रार्थीगण को उक्त आलोच्य अवार्ड से संतुष्ट नहीं होने की अवस्था में श्रीमान आप मध्यस्थ के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी संख्या 4 ने प्रार्थीगण की उक्त अवाप्त भूमि का वर्तमान मौके की स्थिति, किस्म एवं वर्तमान उपयोग उपभोग के अनुरूप बाजार कीमत (मार्केट वेल्यु) के अनुसार मुआवजे का निर्धारण नहीं कर एक अवैध विधि विरूद्ध अवार्ड जारी किया है। प्रार्थीगण उक्त राशि का 100 प्रतिशत अतिरिक्त अवार्ड भी अन्तर्गत धारा 30 Award of solatium के तहत कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है तथा नोटिफिकेशन की दिनांक से अवार्ड राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन में वर्णित अनुसार मुआवजा बढोतरी फरमाकर प्रार्थीगण को विपक्षीगण से प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षीगण ने निवेदन किया कि उनके जवाब को ही उनकी बहस मानी जावें।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया तथा अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की खसरा संख्या 1166 भूमि मौजा मादडी में से 0.1750 हैक्टर भूमि को अवाप्त किया गया। जिसका मुआवजा दिनांक 03.02.2016 को निर्धारित किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा धारा 151 जा.दि. के प्रार्थना पत्र में RFCTLARR, ACT 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित नही करना बताते हुए उक्त अधिनियम के तहत

मुआवजा निर्धारित करने की मांग की हैं। जिसमें विपक्षी ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि इस संबंध में कार्यवाही विचाराधीन हैं। अवाप्तशुदा भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही एवं मुआवजा दिनांक 01.01.2015 के पश्चात किया जाना प्रमाणित है लेकिन अवार्ड राशि कि RFCTLARR, ACT 2013 के तहत निर्धारित नही हुई हैं न ही भूगतान हुआ है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता हैं। कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व भूमि से संबंधित दस्तावेज पेश करने पर नियमानुसार RFCTLARR, ACT 2013 के अनुसार मुआवजा संबंधि आवश्यक कार्यवाही करें।

**::आदेश:**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व भूमि से संबंधित दस्तावेज पेश करने पर नियमानुसार RFCTLARR, ACT 2013 के अनुसार मुआवजा संबंधि आवश्यक कार्यवाही करें। आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

**(नीलाभ सक्सेना)**
**मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर**
**राजसमन्द**

आदेश आज दिनांक 25.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

**मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर**
**राजसमन्द**